प्रेस नोट
दिनांक 27.03.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 524 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 शत्रुघन पाण्डेय नि0 घोरही थाना महूली जनपद सन्तकबीर नगर को पीलखाना मनकापुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 524 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 27.03.2025 को उ0नि0 रामअशीष मौर्य चौकी प्रभारी मछली बाजार मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि पीलखाना मनकापुर के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 किलो 524 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 शत्रुघन पाण्डेय नि0 घोरही थाना महूली जनपद सन्तकबीर नगर

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–143/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 किलो 524 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रामअशीष मौर्य।
02. हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा।
03. का0 हरिपाल वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.03.2025

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा लूट/छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से सोने, चांदी के आभूषण व नगदी बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–322/24, धारा 112(2),304(2),317(2) बीएनएस थाना कटराबाजार व मु0अ0स0 35/25 धारा 309,(4),331(4) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इमरान उर्फ मान पुत्र अकरम खान नि0 चूटीपुर मौजा बिरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को रामापुर कर्बला के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 जोड़ी पायल, 01 अदद पीली धातु का लाकेट व 5200 रू0 नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 27.03.2025 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना के आधार पर रामापुर कर्बला के पास से लूट/छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त इमरान उर्फ मान पुत्र अकरम खान नि0 चूटीपुर मौजा बिरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 जोड़ी पायल, 01 अदद पीली धातु का लाकेट व 5200 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 14.08.2024 को सुमेरपुर स्थित इण्टरलाकिंग प्लांट के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छिनैती की घटना को कारित किया था तथा दिनांक 4/5.03.2025 की रात्रि थाना कौड़िया के ग्राम कटुआनाला के रहने वाले रामगोपाल के घर में घुसकर लूटपाट की घटना कारित की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार व कौड़िया में अभियोग पंजीकृत था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इमरान उर्फ मान पुत्र अकरम खान नि0 चूटीपुर मौजा बिरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–322/24, धारा 112(2),304(2),317(2) बीएनएस थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0–35/25 धारा 309,(4),331(4) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 जोड़ी पायल।
02. 01 अदद पीली धातु का लाकेट।
03. 5200 रू0 नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 बृजेश कुमार।
02. का0 मणिकान्त चौहान।
03. का0 उपेन्द्र सिंह।
04. का0 संदीप कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।